राजस्थान आवासन मण्डल
मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना
में महाविकास कार्य वर्ग - 'ब' के (B+8+12) प्लेटेंटे हेतु
(केवल पुलिस विभाग में सेवालित कॉन्सटेबल/हैड कॉन्सटेबल के लिए)

हमारा प्रयास- सबको आवास

राजस्थान आवासन मण्डल
'आवास शक्ति' अधिकार व्योतित लगभग, जयपुर
फोन : 0141-2740812, 2740113, 2740614
E-Mail : rhhjaipur@dataone.in | Website : www.rhbonline.rajasthan.gov.in

'मंडल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना'

दिनांक 20.12.2019 से 20.1.2020
राजस्थान आवासन मण्डल

मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना
सेक्टर-28, जोन- 266, प्रावा नगर, जयपुर
में महाम आय वर्ग ‘A’ के (8-12) पदों प्रेषित हेतु
(केंद्र पुलिस विभाग में सेवारत कॉन्स्टेबल / हेड कॉन्स्टेबल के लिए)
आवेदन पत्र की विक्री /प्राप्ति व वरीयता निर्देशन का

कार्यक्रम:
1. ऑनलाइन आवेदन -प्रथम विक्री की प्रारम्भ तिथि
2. ऑनलाइन आवेदन -प्रथम प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
3. विवरण आवेदकों की वरीयता निर्णयण हेतु अस्पताल सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
4. अस्पताल सूची पर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
5. विवरण निर्णयण हेतु विवरण आवेदकों की स्थापना सूची का प्रकाशन की तिथि एवं स्थान
6. विवरण निर्णयण हेतु सांदर्भिक आवेदन की तिथि एवं स्थान

कार्यक्रम से 20.12.2019 से 20.1.2020 तक

अंतिम तिथि के पश्चात मण्डल की वेबसाइट
www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर सर्वाधिक सूचना जारी की जाएगी।

सम्पूर्ण सूची:

आवासीय अभियन, खाना-दहाना, राजस्थान आवासन मण्डल, हटी, बाड़ी नेट के पास, हटी, हाथी सर्क, सेक्टर-08, प्रावा नगर, जयपुर
फोन: 0141 - 2791648

उप आवासन आयुक्त, पूरा-प्रभु, राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर-5, प्रावा नगर, जयपुर, में सूचना व माफिक कार्य संचालन के लिए, रामराम, जयपुर
फोन: 0141 - 2791320

अधिकारिक मुख्य अधिकारी प्राचीन आवासन मण्डल,
अधिकारी प्राचीन आवासन मण्डल,
जयपुर, जयपुर
फोन: 0141 - 2741960

विशेष
1. आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर ऑनलाइन करें जारी। इसके अंत आवेदन पत्र की दीर्घार्ष 690 (राहतवाल राशि) में विरोधयोग्य कर सकते हैं अन्य सेवा के माध्यम से ऑफलाइन /हेड किताब में नियंत्रण करने के लिए 12 हफ्ते तहत मधुरा जन सेवाओं का संचालन है। यह आवेदन पत्र के लिए एचडीएफसी बैंक द्वारा खाता संख्या 51000329901167 आईएफएससी. कोड HDFC0000644 में किसी भी एचडीएफसी बैंक से जमा करवाने संकेत है।
# राजस्थान आवासन मण्डल

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा आवासन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत गठबंधन में आएगा आवासन मण्डल की जनरल आवासन उपलब्ध कराने हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य द्वारा यह मण्डल वैज्ञानिक वित्त से आवासीय कोठरियों का निर्माण कर सकेगा, सूचना एवं उठाई व पहलाली रूपांतरण में सहमी अवस्था के लिए आवासन उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। मण्डल द्वारा संबंधित प्रावधान है कि यह ऐसे आवास कराये जो निर्माण के लिए स्वतंत्र और राज्य सरकार के साथ संविधान पर अनुमोदित हो और जिनमें पानी, वातावरणीय समस्या मुख्य आवासक्षेत्रों की पहुँच कर दी गई हो। मण्डल का यह भी प्रावधान है कि आवासीय की नोटिस तकनीकी रूप से संविधान अवस्था के अनुसार की गई। यह स्वतंत्र इकाई ने में निर्माण क्षेत्र के लागू।

## योजना की प्रस्तावना

राजस्थान आवासन मण्डल जो 266 से 266 तक आसन मण्डल अधिनियम – 4 वर्ष 1970 के अंतर्गत में आयोजन किया गया था। इसी उद्देश्य के लिए आवासन मण्डल की जनरल आवासन उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल जो 266, सेक्टर-26, प्राताप नगर, जयपुर में मुख्यमंत्री प्रेम शर्मा आवासीय योजना प्राप्त बनाया गया है।

## तालिका – 1

पटेल का आय वर्ग, संख्या एवं अनुपातित लागत:

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>आय वर्ग</th>
<th>अनुपातित संख्या</th>
<th>अनुपातित कुल (लॉकेट)</th>
<th>अनु. लागत (रु. लॉक)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>महमद आज़म के &quot;अ&quot; शहीद धर्मात्मक पटेल (B+S+12)</td>
<td>288</td>
<td>Built up area-706</td>
<td>15.70</td>
</tr>
</tbody>
</table>
पंजीकरण की पात्रता एवं अन्य शर्तें—

पत्रों का आवेदन राजस्थान आवासन मंडल के समन्वय निर्देशांक विभाग, 1970 के अनुरूप करें इस संबंध में साधन धारा पर जारी नियों व उपनियों एवं अनुसूचियों के निर्देशांकों का प्रमाणीकरण करें।

1. यह योजना राजस्थान सरकार के वर्तमान में कार्यरत प्रस्तावों के लिए है तथा इस योजना में राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग में कार्यरत क्वांटित पुलिस विभाग एवं सेवारत कॉंस्टेबल / हेड कॉंस्टेबल ही आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु पुलिस विभाग के स्वभाव अधिकारी द्वारा जारी प्राप्त पत्र / पत्रों का ए.आर. ध. कार्यक्रम तथा वेतन रिसर्च लगवा आवश्यक होगा।

2. आवेदक व्यक्ति का अवधि आवेदक की फर्मान / पत्र या आवेदन पर अवश्य संबंधी पात्रता के पालन आवश्यक है।

3. (ए) आवेदक के पास आवश्यक अधिनियम के पात्रता के अनुसार जारी धारा 5 का प्रमाण रखें एवं आवेदन पत्र में निर्देशांक स्वरूप पत्र पर उसका उल्लेख किया जाए। (जहां लाख हो)

4. (ब) आवेदक के पास भारतीय विभिन्न विभाग पत्र अवधि/चार्टर्ड (R.C.A.D.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्देशांक पत्र पर उल्लेख किया जाए। (यदि प्राप्त करने के लिए हो)

5. यदि जनपद पहुँच का नाम युवा वर्ग का नाम पूर्व पंजीकृत आवेदक ने मंडल ने आवेदन की तिथि तक आवेदन / पत्र का आवेदन किया नहीं किया है और यदि यह इस योजना में आवेदन करता है तो उनकी पूर्व निर्देशांक प्रवाह का पात्रता आवश्यक एक आवेदन पत्र आवश्यक है।

6. आवासीय योजना की विशेषताएं—

7. यह आवासीय योजना रेफर—28, जीन—266, प्रताप नगर, जयपुर में स्थित है। इस योजना की प्रभुता स्थलों से लगभग दूरी निर्माणाधीन हैं—

1. सीतापुर धार्मिक क्षेत्र 3.0 कि.मी.
2. अन्तर्गतीय जनसंख्या क्षेत्र 4.0 कि.मी.
3. जयपुर रेलवे स्टेशन 4.0 कि.मी.
4. जयपुर राष्ट्रीय 7.0 कि.मी.
5. ए.आर.आई. कोलंगौ 0.50 कि.मी.
6. आवासन मण्डल द्वारा इस योजना में फलदृष्टि के आवंटन में आर्थिक कोटा निम्नानुसार होगा—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>आवेदक की श्रेणी / वर्ग</th>
<th>आवश्यक का प्रतिसात</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>सामान्य श्रेणी सरकारी प्रहरी</td>
<td>59 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>अनुसूचित जाति प्रहरी</td>
<td>16 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>अनुसूचित जनजाति प्रहरी</td>
<td>12 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>विकलांग (अनधिकृत/शारीरिक/पूर्णविश्लेष) प्रहरी</td>
<td>3 प्रतिशत</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>राजदीर्घा र रक्षा—सत्रह कष्ट/समान/पदवी प्राप्त प्रहरी</td>
<td>10 प्रतिशत</td>
</tr>
</tbody>
</table>

विकलांग प्रहरी को बाध्यकर्ता भूमित पर ही पहचान का आवंटन किया जायेगा।

7. इस योजना में तालिका—1 में दर्शाये गये फलदृष्टि हेतु आवेदक की वार्षिक आय एवं पंजीकरण राशि
निम्नानुसार होगी। जिसका विनिमय निम्नानुसार तालिका के अनुसार है—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>आय वर्ग</th>
<th>वार्षिक आय (रुपये में)</th>
<th>पंजीकरण राशि (इसकी अनुसूचित जनजाति का 10 प्रतिशत रूपमें)</th>
<th>प्रोफेशन कीस (रुपये में)</th>
<th>कुल जमा योगदान राशि (रुपये में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>60,000/- /– से 120,000/- /– तक</td>
<td>15/0700.00 + 12% जी.एस.टी.</td>
<td>अघोर कुल राशि 175840.00</td>
<td>1000/– + 18% जी.एस.टी.</td>
<td>अघोर कुल राशि 1180.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>177020.00</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1180.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तलाईनुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि
जमा करा सकते हैं।

8. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा
आहितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जायेगी। कुल आय में निम्नानुसार स्थितियों से हुई आय

<table>
<thead>
<tr>
<th>समिलित होगी—</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(०१) सव्वय के लिए—</td>
</tr>
<tr>
<td>1. देवन</td>
</tr>
<tr>
<td>3. महजगी भता तथा अधिरूढ़ महजगी भता</td>
</tr>
<tr>
<td>4. शहरी क्षेत्रशरीर भता</td>
</tr>
<tr>
<td>5. वृद्ध/सम्पत्ति/धारार्थ से आय</td>
</tr>
<tr>
<td>6. विनियोग से आय</td>
</tr>
<tr>
<td>7. कोई अन्य आय जो आवेदक के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(०२) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तलाईनुसार।

(०३) आवेदक के आर्थिक की आय उपरोक्तलाईनुसार।

(०४) विभाग का बेटन प्रमाण पत्र लग्ना होगा।

9. यदि वर्तमान एवं कालांतर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएं गलत, अथवा असत्य पाए
जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, भिन्न
कोई कारण बताने वालों नोटिस जारी किये गएकर दी जायेंगी तथा मण्डल के प्रभावित पियनी अनुसार
कटिबंध करी जूठ राशि लौटी दी जायेंगी।

10. राजस्थान आवासन मण्डल की आर्थिक योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्राथमिक व्यवस्था के दृष्टिगत नहीं पंजीकरण की
प्रोफेशन कीस मण्डल आय वर्ग 'अ' के आवेदक हेतु राशि रूपमें 1000/- + 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि
देनी हो एवं उपरोक्त देने प्रोफेशन कीस की किसी भी आवेदक को पुनःयोजना/समयप्रारंभ नहीं किया
जायेगा।

11. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदनों में से वर्गीयता विकल्पणात्मक उपलब्ध पदों की संख्या के
बावक तकज आवेदकों को तालिका द्वारा विभिन्न निर्धारित कर दी जायेगी। तालिका के प्रभाव रेशे
अनुसार रहें आवेदकों को उनकी जन्म पंजीकरण राशि (भिन्न बाज) आवेदन पत्र में अघोर रूपमें दी
जाएगी।

12. इस योजना के अर्थमय सही पदों का निर्भर स्वतंत्र पोषण योजना के तहत किया जायेगा। स्वतंत्र
पोषण योजना के विधेयक आवेदनों से मौके पर निर्भर कार्य प्रशसन होने पर आवश्यक पत्र जारी करने हेतु
अनुमानित लागत की सम्मानता राशिय प्राप्त की जायेगी.
<table>
<thead>
<tr>
<th>अवस्था का प्रकार</th>
<th>पूर्व प्रति प्रति में समायोजन का कार्य राशि</th>
<th>अवस्था पत्र में प्रति की जाने वाली प्रति (B+P+12)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>समयावधि</td>
<td>सरकारी किस्त</td>
<td>विदेशी किस्त</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रथम किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>द्वितीय किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>तृतीय किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>चतुर्थ तिमाही किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रति किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>वार्षिक किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
<tr>
<td>साल सम्पूर्ण किस्त</td>
<td>1 माह</td>
<td>15%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

18. प्रश्नावलि योजना किन्हीं अवसरदारों के समूह के अंतर्गत योजना का नाम से लागू होता है, इसलिए योजना को अनुसार विधि प्रगति योजना का नाम पंजीकरण प्रधान 6 प्रतिशत सामाजिक बाजार सहित लोगों दी जायेगी।

19. रिकॉर्ड

(i) आवेदन पत्र प्रँखत करे के पश्चात तथा विषयस्तो लॉटरी के आवेदन पत्र से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के प्रति माह बार मात्र गई पंजीकरण राशि लूटने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(ii) योजना की कामयाबी लॉटरी के आवेदन के पश्चात तथा आवेदन पत्र जारी कर्ते से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के प्रति माह बार मात्र गई पंजीकरण राशि लूटने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर रेखा राशि निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(iii) आवेदन पत्र जारी होने के पश्चात यदि कोई आवेदक इस योजना के माह बार मात्र गई पंजीकरण राशि लूटने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर रेखा राशि निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(iv) इस योजना का आवश्यक पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आवश्यक राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ तिमाही किस्तें देने के बाद जमा राशि लूटने का निवेदन करता है तो उस तिमाही में देने का शेष राशि निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(v) इस योजना का आवश्यक पत्र जारी होने के पश्चात यदि आवेदक आवश्यक राशि की प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ तिमाही किस्तें देने के बाद जमा राशि लूटने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि, वार्षिक राशि तथा विभिन्न आवश्यक राशि की कुल राशि में से 20 प्रतिशत कटौती कर रेखा राशि निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(vi) यदि व्यक्ति पूर्व योजना के प्रति माह बार मात्र गई पंजीकरण राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन करते तथा आवेदनकर्ता पूर्व पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में निवेदित विभाग बाजार के लोगों दी जायेगी।

(vii) उपरेक्षित प्रक्रिया में किसी भी अवसर में अधिकांश कटौती स्थिति पॉपल्स योजना की पंजीकरण प्रधान तक ही समिट होगी।
20. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, यानी, बिजली, पाइपिंग, जिन, स्वीमिंग पूल, साइकल ट्रैक, सामुदायिक भवन, निष्ठा, फायर शायरिंग, रेतवाटर हाउसिंग की स्थापना / देवलपमेंट तथा सनामिलित सेवाओं जैसे गौर, गर्व, खुले, स्थान, नोय-ख़च एवं सुसार हेतु सुचारू गाँवों के लिए प्रयोग आवी को, आवासियों की एक प्रतिनिधित्व संस्था (सि.ए.एसी) का स्थापना होगा अनिवार्य होगा। खान-खराब का खाना सोसाइटी के मुद्दे से आवी को डांग किया जाएगा। इस आवी की अपनी-अपनी देने पर ही आवी को आवास का काम दिया जाएगा।

21. आवास पत्र के अनुसार प्रारंभ किया की राशि जमा करने वाले आवीकरों को देख-खध योजना के अनुसार निर्माण कार्य की प्रारंभ के दौरान ही खाना रखरखाव समय निर्माण होने के प्रयास पोलेस का आवाटन कर दिया जाएगा, जिससे आवीकर अपने आवास के निर्माण का निर्देशन स्वयं भी कर सके।

22. आवास आवंटन लॉटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाप्त पत्रों के मुद्दे से जाने की आवश्यकता। इसमें आवीकर द्वारा आवास राशि को देने के लिए आवी को भाग लेने वाले आवीकरों को पीड़िता कम्युनिटी आवंटन प्रावधान में समावेश किया जाएगा।

23. मंडल निर्मित पोलेस के वास्तविक लाभ कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित होने हेतु पूर्णतः स्वचालित है एवं इस संबंध में मंडल का निर्माण अनिवार्य एवं गायन हो।

24. आवंटन लॉटरी में आवीकर को पोलेस के नवन आवंटित हो जाने के प्रयास पोलेस पूर्ण होने पर आवंटन पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें पोलेस की रेखा बनाया मांग, श्रेणी एवं जमा करने की समावेश का दर्शन मिला किया जाएगा। निर्मिता आवी के पोलेस की मांग राशि जमा नहीं करने पर निम्नानुसार कार्यबाधी करते हुए मंडल द्वारा पोलेस का आवाटन किया जाएगा तथा आवीकर का पंजीकरण भी निर्माण किया जाएगा जन्मदिन मंडल प्रावधानों के अनुसार काटौटी करते हुए आवीकर की जमा, श्रेणी एवं बिना ब्याज के स्वारूप दी जाएगी।

26. मंडल के पोलेस के नवन रेखा निर्माण प्राधिकृत में उपयोग में लिया जाएगा। पोलेस में आवीकर की प्रारंभिक कार्यक्रम का वातावरण निर्माण नहीं कर सकेसजंह और न ही वातावरण उपयोग करेगा। इस प्रावधान का प्रति निर्माण करने पर पोलेस का आवाटन फिर्ता किया जा सकेगा।

27. सम्पूर्ण निर्माण विशेष, 1970 के निर्माण संबंध में विभिन्न हस्तक्षेप किये जाएंगे। पोलेस की संस्थापना समय पर समाप्त करने का कार्य किया जाएगा जैसे आवास प्रारंभिक कर, नए निर्माण कर, नवीनता कर इत्यादि। इससे प्रदर्शित योजना के संबंध में निर्माण प्रारंभिक सामग्री द्वारा निर्माण निर्माण एवं शैक्षणिक का प्रयास करने की आवीकर को पहले दिन होगी।

28. यदि आवीकर, साथ पत्र/आवंटन पत्र में कोई गलती पूरी नहीं हो तो उसका प्रतिक्रिया पृथक-पृथक् कर दिया जाएगा। यदि पोलेस का आवाटन हो गया तो भी मंडल ऐसे आवीकर को स्वीकार करना शुरू करेगा तथा पोलेस का योजना उपयोग कर दिया जाएगा।

29. कीर्तिनाथ कामनाके के होने से या नसरकों के चौराहे बनाने के दौरान बने की दृष्टि से, निर्माता किटिंग / निर्माता आदि का कार्य आवास मंडल द्वारा आवी को काम देने की वास्तविकता से एक महत्वपूर्ण का दिन होगा।

1. सुविधा/किटिंग/किटिंग
2. सेवेटी किटिंग
3. अन्य पुतरी यदि काम देने से पूरा नहीं की गई हो।

30. आवास मंडल अन्य सोसाइटी / आवीकर/संवादन/परिचालन कर सकता है एवं उपरोक्त कार्य करने के लिए कोई अंतर्दृष्ट अंतर्दृष्ट नहीं होगा। इसके परिणाम सहित कार्यक्रम पूरा करने हेतु के पोलेस का स्वीकार संभव नहीं होगा। आवास में आवी को किसी विधाय स्वीकार नहीं होगा।

31. योजना को पूरा एवं आशीर्वाद से स्वीकार करने का आदेश मंडल के पास सुविधा होगी।
32. पंजीकरण/आवेदन/आवेदन मगड़ हार्दिक बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बच्चों/ निपटाओं के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिक्षा को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्वानुमान होगा और ये पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्वानुमान लाने लगते।

33. समय/निर्देशांक विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्टाफ किया जाता है कि आदेशी को सबसे समय तक परिवर्तित नहीं किया जाए और बाद में किसी आपात के Stage पर समय की परिवर्तित तहत संबंध में शिकार होगा, आवेदन संबंधी कार्यक्रम का अधिकार नहीं होगा।

34. आवेदन शुल्क की राशि आवेदनकर्ता website - www.urban.rajasthan.gov.in/rhb के नामांकन के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क online कुल रूपये 500/-(आवेदन शुल्क राशि रूपये 500/+- 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि रूपये 90/-) जना करवा कर निर्धारित राशि तक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित राशि के प्रति पंजीकरण आवेदन प्रमाण न्यायकर नहीं किया जाएगा। उपरोक्त देय आवेदन शुल्क का किसी भी आवेदक को पुनःपुराणान्तण/सारांश नहीं किया जाएगा।

35. (अ)आवेदक अपने प्राधान के पोस्ट में परिवर्तन की सुझाव प्रस्तुत करे तथा आवेदन आयुक्त के प्रथम प्रमाण प्राप्त नाम, रजिस्टर कार्यालय के पोस्ट पर दें। पोस्ट में परिवर्तन की सुझाव के लिए प्राधान को विधि नहीं होने की वजह में मंडल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा।

36. विभिन्न सुधारों : आवास मंडल से आवेदन लेने वाले आवेदक/आदेश विभिन्न समस्याओं से ज्ञान ले सकते हैं। इसका फल आवास मंडल द्वारा अनुपालित प्रमाण पत्र/विशिष्ट अनुपंच पत्र जारी किए जाएंगे।
महत्वपूर्ण बिन्दु

1. इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति, राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग में कार्यस व्यक्ति (कॉन्स्टेबल/हैड कॉन्स्टेबल) हो।

2. आवेदक/व्यक्ति अथवा जाति के पूर्ववर्ती जाति/बंधन में घटिका का लाभ लेने हेतु स्थान अधिकारी के अनुरोध नहीं कर सकता।

3. आवेदक/व्यक्ति का क्रेडिट कार्ड का नाम निकालने में सहायता नहीं कर सकता।

4. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदक को स्वयं का क्रेडिट नहीं कर सकता।

5. पंजीकृत आवेदक के बाद पंजीकृत का क्रेडिट दाता नहीं कर सकता।

6. योजना के अंतर्गत तकनीकी आवेदन अन्य योजना में दायित्व नहीं कर सकता।

7. आवेदन पत्र भुगतान (Booklet) राजस्थान आवास मंडल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर अपलोड की जा सकती है।
सरकारी प्रहरियों (कॉष्टेंटल/ हैड कॉष्टेंटल) के लिए

आय प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती....................................................... पुत्र/ पत्नी श्री ........
...................................................................................... इस सरकारी विभाग (विभाग का नाम) ........................................ में ............................................................. पद पर कार्यरत हैं तथा वे राजस्थान सरकार के नियुक्त कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रूपये .................................................... प्रतिमाह है।

सचिव अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर
विभाग का नाम

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती....................................................... पुत्र/ पत्नी श्री ........
...................................................................................... निवासी.......................................... जिला ........................................ सम्मान ............................... राज्य ........................... जाति ............... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/ जनजाति (सूची) संरक्षण अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति में है।

हस्ताक्षर
तात्सीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)
प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ................................................................. पुत्र/पत्नी श्री................................................................. निवासी ................................................................. ने वर्ष ............... में स्पष्टतः पुरस्कार प्राप्त किया था।

1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................

स्थान अधिकारी
के हस्ताक्षर नव मोहर
विभाग का नाम

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ................................................................. पुत्र/पत्नी श्री................................................................. निवासी ................................................................. ने वर्ष ............... में स्पष्टतः पुरस्कार प्राप्त किया था।

1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
GENERAL SPECIFICATIONS OF CONSTRUCTION

1. R.C.C. Foundations (Raft) with seismic resistant design.
2. R.C.C. work in slab, plinth/lintel band.
4. Plaster in Cement sand mortar. (1:6)
5. Vitrified Tiles/Marble flooring / Mat Finished tiles.
6. Pressed Steel/UPVC Door and Window Frames
7. Flush door shutters with steel fittings.
8. Interior paint and acrylic paint on Exterior walls.
9. POP finish.
10. Water tanks, CP Toilet fittings, Kitchen Sink and Vitreous China WC/Wash basin.
12. Concealed PVC conduits with stranded (flexible) copper wire, MCBs.
13. Lift Facility as per Norms.
14. Fire Fighting arrangement.
15. DG Set for power back up.
16. Rain water Harvesting.
17. Swimming pool.
18. Gym. facility.
19. Cycle track
22. Community Centre.
23. Covered Parking including visitors.
25. LED Lights in Common areas.
मुख्यमंत्री प्रहरी आवासीय योजना

2 BHK Unit Plan

B.U.A = 706.00 sq.ft. (Approx)
S.B.U.A = 900.00 sq.ft. (Approx)
Site Layout Plan